सऊदी अरब का दावा, मक्का में घुसने से पहले ड्रोन को इन्टरसैप्ट किया

मक्का, 16 सितंबर। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्क अल-मलिकी ने चेतावनी दी कि मक्का और दोनों पवित्र मस्जिदों की सुरक्षा उसके लिए रेड लाइन है और किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाही का जवाब दिया जाएगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं और लाल सागर के रणनीतिक इलाकों में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर ली है। हूती पक्ष ने मक्का को निशाना बनाने के आरोप को खारिज किया है, लेकिन सीमा पार हमलों और सऊदी हवाई कार्रवाही ने पूरे क्षेत्र में तनाव को फिर चरम पर पहुंचा दिया है।

■ दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने मक्का को निशाना बनाने के आरोप को बेबुनियाद बताया

सऊदी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, ड्रोन को मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। अल-मलिकी ने कहा कि पवित्र शहर और वहां आने वाले जायरीनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि सऊदी अरब भविष्य में ऐसे हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही कर सकता है। हालांकि हूती पक्ष ने इस दावे को सीधे खारिज कर दिया। हूती नेता हाजेम अल-असद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मक्का को निशाना बनाए जाने के आरोप को पुराना और बेबुनियाद बताया। ऐसे में ड्रोन की उत्पत्ति और उसके वास्तविक लक्ष्य को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। मक्का के पास ड्रोन गिराए जाने की घटना से कुछ ही समय पहले हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने दावा किया था कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने यमन के पांच प्रांतों में 52 हवाई हमले किए। उनके मुताबिक, एफ-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों ने सऊदी अरब के खमीस मुशैत और ताइफ स्थित हवाई ठिकानों से उड़ान भरकर तैज, अल-जौफ, अल-बायदा, सादा और अमरान में हमले किए। हूती पक्ष ने दावा किया कि इन हमलों में स्कूलों, पुलों, सड़कों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अधिकारियों ने इन आरोपों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

तीन महीने में पहली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करीब तीन महीने में पहली बार एक ही मंच पर साथ दिखाई दिए। भूपेश बघेल की जगह राज्य इकाई का प्रभार संभालने के बाद, यह सचिन पायलट का चंडीगढ़ का पहला दौरा था। बघेल को संकट संभालने के लिए पंजाब भेजा गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्हें निष्पक्ष नहीं माना जा रहा था। एकजुटता का यह प्रदर्शन संगरूर जिले के दिर्बा विधानसभा क्षेत्र के निवासी गुलज़ार सिंह की आत्महत्या को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के घर तक निकाले गए मार्च के दौरान हुआ। गुलज़ार सिंह ने नशे के मुद्दे को उठाया था और आरोप था कि इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। कांग्रेस का यह मार्च जब सैक्टर 15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन से चीमा के सरकारी आवास की ओर रवाना हुआ तो कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मार्च में मौजूद थे। ये दोनों भी पार्टी के भीतर गुटबाजी में सक्रिय रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले, मंच पर चन्नी पायलट के दाईं ओर और वड़िंग उनके बाईं ओर बैठे थे। दोनों को एक-दूसरे से बात करते और हाथ मिलाते देखा गया।

अनंत नाग को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

4 सितंबर 1948 को कर्नाटक में जन्मे अनंत नाग ने कन्नड़ फिल्म "संकल्प" से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म "अंकुर" से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। पांच दशक से अधिक के अपने करियर में उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी सिनेमा की 300 से अधिक फिल्मों में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं। "मालगुडी डेज" उनके चर्चित कामों में शामिल है।

अनंत नाग को अब तक पांच फिल्मफेयर पुरस्कार और पांच कर्नाटक राज्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिल चुके हैं।

'एआई की विध्वंसकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके बाद यह आशंका पैदा हुई कि अगर ऐसे एआई सिस्टम बनाए जा सकते हैं, जो मानव आदेश से स्वतंत्र होकर काम करने, किसी अन्य एआई मॉडल की पहचान करने और फिर अपने आप नए एजेंट बनाने तथा उस मॉडल को नष्ट करने में सक्षम हों, तो वे कहीं और भी एआई या कंप्यूटर नेटवर्क के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

यह वैसा ही है, जैसे किसी जीव के शरीर में कोई "डिफैक्टिव जीन", जो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे और अंततः उसे खत्म कर दे।

उदाहरण के लिए, कोई एआई मॉडल और उसके एजेंट किसी अस्पताल के कंप्यूटर नेटवर्क या किसी एयरलाइन कंपनी के ऑपरेशन सिस्टम पर हमला शुरू कर सकते हैं और ऐसी सुविधाओं को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। इसी तरह वे वायरस की तरह फैल सकते हैं और अपने विनाशकारी एजेंटों की संख्या बढ़ाते जा सकते हैं। ये एजेंट आपस में जुड़े पूरे कंप्यूटर तंत्र में बहुत तेजी से फैल सकते हैं। डर इस बात को लेकर था कि खतरनाक मैलवेयर अनियंत्रित रूप से तेजी से फैल सकता है और व्यापक तथा बेकाबू नुकसान पहुंचा सकता है। मसलन, एक ऐसे मैलवेयर एआई सिस्टम की कल्पना की जा सकती है, जो किसी देश के डिफैंस और स्ट्रैटेजिक सिस्टम में घुस जाए और एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरु कर दे, जिससे विनाशकारी हरकत पैदा हो और जिसे नियंत्रित करना संभव न हो।

इस विवाद के अचानक उठने से पूरी एआई कम्युनिटी और इन डैवलपमैंटस को आगे बढ़ाने वाली कंपनियाँ एक तरह से हिल गई हैं। इन मॉडलों के निर्माताओं को खुद भी एआई के ऐसे "फ्रैंकनस्टीन" जैसे डैवलपमैंट्स और पूरे तंत्र में उनके अनियंत्रित फैलाव से डर लगने लगा है।

अब कंपनियां खुद यह महसूस कर रही हैं कि जो कुछ हो सकता है, उसका असर खुद उन्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए वे अपने क्रिएशन्स और काम के ऐसे खतरनाक पहलुओं को कंट्रोल करने और उनके फैलाव को रोकने के लिए एआई सिस्टम के आस-पास "गार्डरेल्स" (सुरक्षा उपाय) लगाने की बात कर रही हैं।

एआई मॉडलों और उत्पादों के डैवलपमैंट्स की रफ्तार और उनके आसपास जरूरी सुरक्षा उपायों के बीच कुछ नियंत्रण और संतुलन होना जरूरी है। ऑल्टमैन अब कह रहे हैं कि भले ही एआई के प्रभावों को लेकर डरने के वास्तविक कारण हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे "बिल्ट इन" ब्रेक्स भी हैं, जो सुधारात्मक कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। फिर भी, उद्योग के कुछ अन्य नेता सरकारी रैगुलेशन्स के बजाय, उद्योग स्तर के नियमों की बात कर रहे हैं। यह विवाद अभी भी जारी है।

पंचायती राज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगी। इससे पहले, जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरा किया जा चुका है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

"वर्कर्स सैस" और उससे अव्यवहारिक जुड़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहना है कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 व उससे संबंधित अन्य नियमों में संयुक्त श्रम आयुक्त को बिल्डरों पर निर्माण कार्य में आने वाले पूरे खर्च का एक प्रतिशत सैस के तौर पर आंकलन कर श्रमिकों के कल्याण के लिए वसूलना होता है। यह राशि श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाए गये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जमा की जाती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि श्रम विभाग को अपने स्तर पर ही प्रदेश में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का आंकलन कर निर्माण कार्यों के कुल खर्च और उसका एक प्रतिशत सैस वसूलना होता है। परंतु श्रम विभाग ने ही कई वर्षों तक प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की सूची बनाकर आकलन नहीं किया है। इन 27 याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि उनके द्वारा कई तरह के निर्माण कार्य वर्ष 2011 से ही शुरू कर दिये गये थे और इनमें से कई निर्माण कार्य कई वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिये गये थे, परंतु श्रम विभाग की ओर से इन कार्यों के आंकलन के लिए नोटिस 2021 से लेकर 2023 के बीच दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जयपुर में कार्यरत संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त ने प्रोजेक्ट का एसेसमेंट 2021 में किया और वर्ष 2023 में सैस और पेनल्टी घोषित कर दी। याचिकाकर्ताओं कि ओर से कहा गया कि आयुक्त ने पूर्वव्यापी रूप से पेनल्टी घोषित करी जो कि नियम कायदों और संविधान के विरूद्ध है ।

अदालत ने इस मामले की पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए एक मामले का उदाहरण लिया, जिसमें संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त ने बिल्डर के "कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट" का एसेसमेंट वर्ष 2021 में किया और पेनल्टी और सैस वसूलने का नोटिस वर्ष 2023 में जारी किया, परंतु आदेश में यह भी कहा कि पेनल्टी वर्ष 2011 से वसूली जायेगी। इस उदाहरण में मैसर्स रीदिराज बिल्डर्स को निर्माण कार्य में 3 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आई थी, जिससे आंकलन किया जा सकता है कि वर्कर्स सैस की रकम लगभग 3.5लाख रुपये होगी। परंतु आयुक्त द्वारा इस बिल्डर से निर्माण कार्य शुरू होने के वर्ष, जो 2011 था, से प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की पेनल्टी वसूलने के आदेश भी पारित किये गये।

इस उदाहरण का विवरण देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि यह पेनल्टी लगाने से पूर्व आयुक्त ने न तो उन्हें सुनने का कोई अवसर दिया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में नियम अनुसार उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने से पूर्व उन्हें सैस की रकम और पेनल्टी जमा करनी होगी जो कि असंवेधानिक है, क्योंकि अधिनियम श्रमिकों के कल्याण को मद्देनज़र रखते हुये बनाया गया है। इसका उद्देश्य बिल्डरों का शोषण करना नहीं है। अदालत ने इस तर्क को माना और कहा कि अधिनियम भारत में निर्माण कार्य से जुड़े 85 लाख मजदूरों के कल्याण को देखते हुए बनाये गये हैं और विभाग को इनके कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार व विभाग या अधिकारी ऐसी शर्तें बिल्डरों के समक्ष नहीं लगा सकते, जिससे उनके लिए अपील दायर करना अव्यवहारिक न हो जाये या जिससे श्रमिकों का कल्याण ना जुड़ा हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 4 हफ्तों में अपील दायर कर सकते हैं और इस अपील को सुनने के लिए उन्हें पहले ही सैस और पेनल्टी की राशि जमा नहीं करवानी होगी।

ब्रिक्स की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने वाले ब्रिक्स की तुलना में कारोबार की लागत कम करने वाला ब्रिक्स कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकता है।

भारत ने इसे राजनीतिक गति प्रदान की है। अब उसे क्रियान्वयन में अनुशासन लाने में भी मदद करनी होगी। इस शिखर सम्मेलन की कामयाबी का असली पैमाना साझा बयानों में नहीं, बल्कि फैक्टरी के कामकाज, एक्सपोर्ट ऑर्डर, स्टार्टअप साझेदारियों, सस्ते कर्ज और तेजी से होने वाले पेमैंट में दिखेगा।

ब्रिक्स के लिए, अगले शिखर सम्मेलन में संभावनाओं की घोषणा करने के बजाय, नतीजों की रिपोर्ट देने पर ज्यादा जोर होना चाहिए।

उज्जैन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्रीराम के जयकारे लगाए। मौके पर पुलिस और प्रशासन का अमला भी तैनात रहा। इस दौरान संतों ने श्रद्धालुओं को खड़े हनुमान जी को उसी स्थान पर स्थापित रखने के लिए संकल्प दिलाया। मंच से संतों ने कहा कि इसके लिए वे अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो पसीने के साथ खून भी बहाएंगे।

'सिविल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं करने पर कार्मिक सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने अधिकरण में 2 सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होना बाकी है।

जनहित याचिका में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए अधिकरण का गठन किया गया है। बीते करीब चार माह से अध्यक्ष का पद खाली है।

अमित शाह का दावा पूरा करना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जैसे सहयोगी लंबे समय से यूसीसी का विरोध करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे स्थानीयि आदिवासी रीतिरिवाजों, मातृसत्तात्मक परंपराओं और अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के अधिकारों से सम्बंधित संवैधानिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये सहयोगी सांस्कृतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें डर है कि एक समान कानून क्षेत्रीय विशिष्टता को खत्म कर सकता है।

अगले आम चुनाव में तीन साल बाकी हैं। ऐसे में अमित शाह ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया है। एक ही राष्ट्रीय कानून बनाने के बजाय, समवर्ती सूची के माध्यम से यूसीसी को आगे बढ़ाकर, पार्टी केन्द्र में गठबंधन के समीकरणों और खासकर आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों में क्षेत्रीय अंतर से जुड़ी जटिलताओं से बचती है।

यह घोषणा पार्टी के समर्थकों को यह संदेश भी देती है कि विभिन्न दलों वाले एनडीए में शामिल होने के बावजूद, वैचारिक प्राथमिकताएं

■ अतः 2029 के चुनाव से पूर्व सभी एनडीए सरकारों का विधेयक पारित करने के लिए भारी रफ्तार से इस मुद्दे पर काम करना जरूरी है। अन्यथा शाह की धारणा केवल महत्वकांक्षा ही रह जाएगी।

बरकरार हैं। यूसीसी से असहमत दलों पर एनडीए धीरे-धीरे दबाव बना रहा है, अन्यथा ऐसे दल 2029 के चुनावों से पहले अलग-थलग पड़ सकते हैं।

जमीनी स्तर पर प्रगति असमान बनी हुई है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी पूरी तरह लागू है। राज्य विधानसभा ने फरवरी 2024 में विधेयक पारित किया था, राष्ट्रपति ने मार्च 2024 में इसे मंजूरी दी और जनवरी 2025 में संहिता लागू हो गई। गुजरात (मार्च 2026), असम (मई 2026) और मध्य प्रदेश (जुलाई 2026) ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन संबंधों और बहुविवाह पर रोक से संबंधित समान कानून पारित किए हैं। इनमें आम तौर पर अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। इन तीनों विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी और औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है। इस तरह अभी तक केवल एक राज्य को ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है और वहां संहिता लागू हो चुकी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समितियां बना दी हैं तथा इस प्रकार प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

इसलिए 2029 के लिए शाह का लक्ष्य एनडीए के बाकी राज्यों में नए कानून बनाने के साथ-साथ, राष्ट्रपति की मंजूरियों की प्रक्रिया तेज होने पर निर्भर करता है। देखना यह है कि सहयोगी दल इस प्रक्रिया के साथ आते हैं या नहीं, तथा अलग-अलग राज्यों की विविध परिस्थितियों के बावजूद यह प्रक्रिया वास्तव में एक समान परिणाम देने में सफल होती है या नहीं। इसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह समयसीमा राजनीतिक हकीकत बनती है या केवल एक इच्छा या बयानबाजी बनकर रह जाती है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908